



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 454 राँची, शुक्रवार 5 आषाढ, 1937 (श०)

26 जून, 2015 (ई०)

jkt; fuokpu vk; kx] >kj [k.M

आदेश

10 जून, 2015

संख्या: 03नि०-07/2011 रा०नि०आ० 1471 -- यतः राज्य निर्वाचन आयोग को समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2010 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 क, सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्य्यों का कोई भी लेखा दाखिल करने / विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों ने समयक सूचना दिये जाने पर भी उक्त असफलता के लिया कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गए अभ्यावेदनों पर, (यदि कोई हो) विचार करने के पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः इस संबंध में उपायुक्त, दुमका के प्रतिवेदन / अनुपूरक प्रतिवेदन एवं प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 कि धारा 10क सहपठित, झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों / स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित किया जाता है।

Øekd	ftyk	fuokpu {k-	uke ,oairk	dkj.k
1	2	3	4	5
1	nɛdk	XII nɛdk@I j\$ kgkV&02	jkt sk d@ 'kek xte&eMyMhg i [k.M&I j\$ kMhg] nɛdk	fuokpu 0; ; ka dh y\$kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
2		XII nɛdk@dkBhdM&08	ejh e@ xte&i kJnu i gkMh i [k.M&dkBhdM] nɛdk	fuokpu 0; ; ka dh y\$kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
3		XII nɛdk@nɛdk&09	Lugyrk I kjs xte&xknhdkj\$ k i [k.M&nɛdk] nɛdk	fuokpu 0; ; ka dh y\$kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
4		XII nɛdk@tkek&12	I jokyh i t gj xte&NSyki kFkj i [k.M&tkek] nɛdk	fuokpu 0; ; ka dh y\$kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
5		XII nɛdk@tkek&12	fofy; e V xte&Fkui gj i [k.M&tkek] nɛdk	fuokpu 0; ; ka dh y\$kk nkf [ky djusea vl Qy jgA

6	XII nɛdk@jkuh'oj&19	I fufr eɛj xte&ollncuhj i ɛ[k.M&jkuh'oj] nɛdk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
7	XII nɛdk@jkuh'oj&19	I ksk efu Vɛj xte&l [ktkMk i ɛ[k.M&jkuh'oj] nɛdk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA

jkt; fuokpu vk; ɔr ds vkns k l }

(g0@&) अस्पष्ट

I fpo

jkt; fuokpu vk; ks]

>kj [k.M] jkph A

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 454--50 ।